राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 'SUDA'

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

124/1

पत्रांक : 4691 /05/76/एक/2017–18 दिनांक 23 फरवरी 2018

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–सम्भल।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2017–18 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना में स्वीकृत धनराशि से शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक/मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधा योजना के कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु निम्न परियोजनाओं की द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण।**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में आपके जनपद को उक्त योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या–37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जा रही है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	50086598202	IFSC Code ALLA0210565	130.283

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या 37/83	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	धनराशि का प्रेषण (द्वितीय किश्त)
1	सम्भल	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पं0 सम्भल	वार्ड नं0 19 मो0 शहबाजपुरा दीपासराय में मिन्जार के मकान से हजारी अहरार के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.922
2	सम्भल	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पं0 सम्भल	वार्ड सं0 13 मो0 मंगलपुरा में नूर हसन से दानिश के मकान तक एवं अ0 रहीम के प्लाट से इमाम वक्श के मकान तक, इरफान के प्लाट से इसलाम के मकान तक एवं याकूब के मकान से इरफान के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.637
3	सम्भल	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पं0 सिरसी	वार्ड सं0 1 मेन रोड मस्जिद से बीबी जैनब के मजार तक बिलारी रोड से करबला तक एवं मुन्व्वर हुसैन के मकान से सालिम भाई की दुकान (मदरसा) तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	62.243
4	सम्भल	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 बहजोई	वार्ड सं0 14 मो0 कुरैशियाना नई बस्ती में बाबू के मकान से कमरूल के मकान तक, सलीम के मकान से बद्दू के मकान तक, फाजिल के मकान से सददन शेख के मकान तक, अब्दुल करीम के मकान से इसरार हेड वाले के मकान तक एवं मुनव्वर के मकान से कल्लन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	23.982
5	सम्भल	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 बहजोई	वार्ड नं0 17 मो0 फकीरान में शकील अहमद के मकान से कल्लू के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.549
6	सम्भल	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 चन्दौसी	वार्ड नं0 23 मो0 लक्ष्मणगंज में नासिर के मकान से मेन रोड तक एवं नासिर के मकान से हाशिम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.420

(124/2)

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या 37/83	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	धनराशि का प्रेषण (द्वितीय किश्त)
7	सम्भल	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पं0 गुन्नौर	वार्ड नं0 04 मो0 सराय राम मन्दिर में नवीन प्राइमरी स्कूल वाली गली व छोट के मकान से अल्ला रक्खे के मकान तक एवं वशीर के मकान से फुरकान के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	4.022
8	सम्भल	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पं0 नरौली	वार्ड नं0 02 मो0 काजीटोला नगर (तेलीवाला कुआ) में चांद खां के मकान से मुख्तयार के मकान तक एवं हनीफ खां के मकान से लईक के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.459
9	सम्भल	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पं0 बबराला	वार्ड सं0 04 मो0 साहूकारा में कौशर के माकन से हसनैन व अली मोहम्मद के मकान तक, शौकत अली के मकान से हाजी रियासत अली के मकान तक एवं जफरूददीन वाली गली व इरफान ठेकेदार के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.049
	योग				130.283

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2017–18 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

(124/3)

10– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12– **शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. अधि० अभियन्ता–सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक